संख्या:15/2025/001-327-2025-1891559-12-2099-33-2025

प्रेषक,

गुन्जन दुबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक: 29 मार्च, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के मानक मद-27 सब्सिडी में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-8902-नेशनल क्रॉप इन्योरेंस से पुनर्विनियोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-एस0एफ0-1487-जी/प्रमाणित/पुनर्विनियोंग/2024-25 दिनांक 12 जनवरी, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-04- प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के मानक मद-27 सब्सिडी में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-8902-नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस से पुनर्विनियोग धनराशि रू0 5500.00 लाख (रूपये पचपन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
5. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्याकतानुसार किया जायेगा।

7. व्यय प्रबन्धान एवं शासकीय व्यकय में मितव्ययियता के सम्बान्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्तय (आय-व्यायक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्यी सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड-लाईन्स/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

10. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

11. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का रहेगा।

12. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही करते हुए व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

13. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वी कृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्यि सरकार या अन्यय किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्यय योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृति न हो।

14. धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

15. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

16. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।

17. कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

18. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 55,00,00,000 (रुपये पचपन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2401001030400 प्रमाणित बीजों पर अनुदान मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

संख्या:15(1)/2025 /001-327-2025-1891559-12-2099-33-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20242025-65 2025 12-2099 56 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या - 11 के लेखाशीर्षक 2401 - फसल कृषि कर्म 103 बीज 04 प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के मानक मद 27 सब्सिडी में लेखाशीर्षक 2401 फसल कृषि कर्म 110 फसल बीमा 8902 नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम से पुनर्विनियोग प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान सख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
011	2401001108902 (नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम)	27 (सब्सिडी)	5,50,00,00,000 रुपये पाँच अरब पचास करोड़ मात्र	3,90,75,50,000 रुपये तीन अरब नब्बे करोड़ पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र	-55,00,00,000 रुपये पचपन करोड़ मात्र	550000000 -	- 495000000	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान सख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वितीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
011	2401001030400 (प्रमाणित बीजों पर अनुदान)	27 (सब्सिडी)	55,00,00,000 रुपये पचपन करोड़ मात्र	55,00,00,000 रुपये पचपन करोड़ मात्र	550000000 -	1100000000	2024-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. स्तम्भ - 2 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ - 3 में बचत लक्ष्यों का निर्धारण न होने के कारण हो रही है।
2. स्तम्भ - 8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ - 9 में अपेक्षित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय लक्ष्यों में वृद्धि होने के कारण सब्सिडी मद में व्यायाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या - 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या-आर2-1-856 मार्च
संख्या: आर ई-< >-2024-25, दिनांक-28 जनवरी, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 28-03-2025 15:41

Gunjan Dubey
(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

उप सचिव।

संख्या : 65 2025 12-2099 56 2022 दिनांक-28 मार्च जनवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Gunjan Dubey
(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।